सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00033

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 08/2018

1. अशोक कुमार पुत्र श्रीराम जाति बिश्नोई आयु 32 वर्ष निवासी चक 4 डी छोटी, साधुवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
2. बनवारी लाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर दिनांक 12.02.2018 प्रकरण संख्या 08/2017 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, अनवानी बनवारीलाल बनाम अशोक कुमार, जिसकी रूह से प्रार्थी/अपीलांट पर तावान कायम कर अतिक्रमण हटाने एवं रास्ता चालू करवाने का आदेश पारित किया गया, बमुराद मन्सूखिया अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :

1.श्री मोहनलाल छाबड़ा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री पृथ्वीराज शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: **दिनांक :– 04.03.2020**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 16 ता 25 कुल 10 बीघा भूमि उसके नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में मन्जूर शुदा रास्ता अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बन्द कर रखा है । अतिक्रमण हटाकर रास्ता चालू करवाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत अन्तर्गत दर्ज करते हुए अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 1–1 बिस्वा रास्ता दिनांक 28.03.1984 को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 36/84 अनवानी गोरखाराम बनाम रामरख वगैरा में स्वीकृत किया था। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट के पिता की ओर से अपील संख्या 295/2000 अनवानी श्रीराम वगैरा बनाम गोरखाराम, राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी। अपील दिनांक 16.04.2004 को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का आदेश बाबत रास्ता स्वीकृति निरस्त कर दिया गया था । राजस्व अपील

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.04.2004 के खिलाफ गोरखाराम ने द्वितीय अपील संख्या 2209/2004 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की थी जो दिनांक 02.02.2016 को खारिज हो गई अर्थात रास्ता निरस्त हो चुका है। जबाब नोटिस मय दस्तावेज पेश करने एवं समस्त वस्तुस्थिति स्पष्ट होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व एवं राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की अवज्ञा करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया एव ना ही प्रस्तुत न्यायिक निर्णय का ही अवलोकन किया। प्रकरण हाजा धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है इसलिये भी अपास्त किये जाने योग्य हैं। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीन बहस में कथन किया कि चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 16 ता 25 कुल 10 बीघा भूमि उसके नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में मन्जूर शुदा रास्ता अपीलान्ट ने बन्द कर रखा है। चक 4 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 1–1 बिस्वा रास्ता दिनांक 28.03.1984 को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 36/84 अनवानी गोरखाराम बनाम रामरख वगैरा में स्वीकृत किया। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट के पिता की ओर से अपील संख्या 295/2000 अनवानी श्रीराम वगैरा बनाम गोरखाराम, राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की। अपील दिनांक 16.04.2004 को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का आदेश बाबत रास्ता स्वीकृति निरस्त कर दिया गया। राजस्व अपील अधीकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.04.2004 के खिलाफ गोरखाराम ने द्वितीय अपील संख्या 2209/2004 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की थी जो दिनांक 02.02.2016 को खारिज हो गई अर्थात रास्ता निरस्त हो चुका है। जबाब नोटिस मय दस्तावेज पेश करने एवं समस्त वस्तुस्थिति स्पष्ट होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व एवं राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की अवज्ञा करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 4 डी छोटी के खाता संख्या 27/25 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 16 ता 25 कुल 10 बीघा नहरी भूमि मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में मन्जूर शुदा रास्ता है जिसे अपीलांन्ट ने बंद किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा गैर मु0 रास्ते के रकबा पर अतिकमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.02.2018 द्वारा अपीलान्ट को अतिकर्मी घोषित किया जाकर भू–राजस्व के 9.49 रूपये प्रति

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

हेक्टैयर की दर का 50 गुणा तावान 300/– रूपये अरोपित किया जाकर जो निर्णय पारित किया वह विधिसम्मत् है। तहसील श्रीगंगानगर का निर्णय बहाल रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.04.2004 को राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा निरस्त किया जा चुका है एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में भी अपने निर्णय में रास्ता का निरस्त माना है। उक्त निर्णय के परिपेक्ष में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर